न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 23 / 2025

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
मालाराम पुत्र रूगनाथराम, जाति विश्नोई निवासी झरडासर तहसील बाप जिला फलौदी		उपतहसीलदार शेखासर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश उपतहसीलदार शेखासर तहसील बाप मुकदमा संख्या 131 / 2025 दिनांक 30.10.2025

उपस्थित वकील :—

अपीलाण्ट की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर सेः— तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः— 30/12/2025

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज उपतहसीलदार शेखासर के प्रार्थना पत्र संख्या 131 / 2025 निर्णय दिनांक 30.10.2025 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि उपतहसीलदार शेखासर द्वारा प्रार्थी को एक नोटिस इस अनाधिकृत सरकारी भूमि पर अतिचार का पटवारी राणेरी के मार्फत दिया जिसमें दिनांक 10.10.2025 की तारीख मुकर थी। खसरा नंबर 903 / 779 रकबा 3 बीघा व खसरा नंबर 770 रकबा 5 बीघा भूमि का अपीलांट को अतिचारी माना एवं प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30.10.2025 को प्रार्थी / अपीलांट को बिना सुने प्रार्थी / अपीलांट को सजा सुनाई जो विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। उपतहसीलदार शेखासर से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 08.10.2025 करे उपतहसीलदार शेखासर द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत अपीलांट / अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जिसकी दिनांक 10.10.2025 थी दिनांक 10.10.2025 को नोटिस तामील / अदम तामील पत्रावली में प्राप्त होना नहीं बताया, परन्तु दिनांक 30.10.2025 को अपीलांट को अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। अपीलांट को कोई नोटिस नही

जिला कलक्टर
फलौदी

दिया गया बिना सुने अपीलांट को सजा सुनाई गई जो निरस्त योग्य है। निर्णय हल्का पटवारी द्वारा दिए गए नोटिस में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का अंकन किया परन्तु पत्रावली में पूर्व में दिए गए सजा के संबाधी किसी तरह की कोई फर्द या निर्णय के प्रति संलग्न नहीं है। अपीलांट को न तो विधिवत नोटिस प्राप्त हुआ न ही जबाव का अवसर प्राप्त हुआ न ही हल्का पटवारी से साक्ष्य में जिरह का अवसर प्राप्त हुआ समस्त कार्यवाही वाले–वाले एक तरफा की गई जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जांच एवं अपीलांट विधिवत सुनवाई एवं सुने बिना पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव उपतहसीलदार शेखासर से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी हल्का राणेरी एवं भू.अ. निरीक्षक शेखासर द्वारा मौके की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्व होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 26.09.2025 को जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त नोटिस अपीलांट के पुत्र मनीष के द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त नोटिस पटवारी द्वारा तामील करवाया गया है। दूसरा तर्क यह है कि पत्रावली में पटवारी हल्का राणेरी व भू. अभिलेख अधिकारी शेखासर की अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में अतिक्रमण की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम झड़ासर के खसरा संख्या 903/779 रकबा 3 बीघा व खसरा नंबर 770 रकबा 5 बीघा भूमि पर तारबंदी कर कब्जा बताया गया है। उक्त रिपोर्ट अनुसार पटवारी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना उल्लेखित किया गया है। तहसीलदार के आदेश में स्पष्ट है कि पिछले वर्षो में भी अपीलांट को प्रकरण संख्या 829/2023 में खसरा संख्या 903/779 रकबा 15 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरा का अतिक्रमी घोषित किया गया है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 30.01.2024 को बेदखल भी किया गया था। अतः अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। दोनों तर्को पर नायब तहसीलदार का आदेश सही होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।
निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर
फलौदी